

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2023/21-30 जयपुर, दिनांक:- 12.02.2026

आदेश

श्री राहुल कुमार शर्मा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा, अध्यापक लेवल-प्रथम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मामडोली, ब्लॉक बाँली, जिला सवाईमाधोपुर ने ग्रहणाधिकार (लियन) सुरक्षित होने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यमुक्त होकर अपने पूर्व पद वरिष्ठ सहायक के पद पर अभियोजन निदेशालय में दिनांक 11.02.2026 को अपनी उपस्थिति दी है।

श्री राहुल कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक का पदस्थापन लोकहित में कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, दौसा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पद विरुद्ध) के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

संबंधित अधिकारी उपरोक्त कर्मचारीगण की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(तिरूपति कुमार गुप्ता)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित कर्मचारी _____।
6. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर